

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशंसित सडक-पुलिया/2018-19/ 12591-99 दि. 8/3/19
परियोजना अधिकारी,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर ।

विषय- सम्पर्क सडक/पुलिया निर्माण कार्यों की वित्तीय स्वीकृति ।

प्रसंग : इस विभाग की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 8104-10 दिनांक 14.02.2019 एवं 10249-56 दिनांक 23.02.2019 के क्रम में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा जारी विभिन्न निर्माण कार्यों की निम्नलिखित सम्पर्क सडक/पुलिया निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में पंचायत समिति गिर्वा से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर कॉलम संख्या 6 अनुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है -

कार्यकारी एजेन्सी-ग्राम पंचायत

(राशि लाखों में)

क्र. स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		प्रथम किरत देय राशि
		क./दि.	राशि	क./दि.	राशि	
1	2	3	4	5	6	7
1	डोडावली लेवाघाटी से देवजी के मकान तक सी.सी.रोड ग्रा.पं. डोडावली	8104-10/14.02.19	5.00	222/07.02.19	5.00	4.00
2	राजस्व ग्राम लाम्बाधावडा मे कमला के घर के सामने मुख्य सडक गोरना मोहल्ले मे जाने हेतु नाले पर पुलिया निर्माण,ग्राम डोडावली ग्रा.पं. डोडावली	10249-56/23.02.19	5.00	223/07.03.19	5.00	4.00
	योग				10.00	8.00

उपरोक्त कार्यों की कुल राशि 10.00 लाख के विरुद्ध प्रथम किरत रु. 8.00 लाख (80 प्रतिशत) की राशि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 64/ 2018-19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते मे प्राप्त राशि 1001.69 लाख में से होगी। शेष राशि कार्यों की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

कार्यों के संपादन मे निम्नलिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित की जावे-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरे व्यय के लिए संबंधित पंचायत समिति एवं कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावे।
3. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy मे comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. जिला परिषद द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधानों के अनुसार कार्यकारी एजेन्सी को राशि हस्तांतरित की जाएगी एवं कार्यों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित किए जाएंगे।

भवदीय


(भवानी सिंह देथा)
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/मंत्री अनुशोधित सडक-पुलिया/2018-19/1259/99

दि. 8/3/19

प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर, उदयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि विशेष केन्द्रीय सहायता मद अन्तर्गत स्वीकृति संख्या- 64/ 2018-19 दिनांक 20.02.2019 से आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में प्राप्त राशि 1001.69 लाख में से प्रथम किश्त राशि रु. 8.00 लाख (80 प्रतिशत) परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर को हस्तांतरित करें।
6. विकास अधिकारी, गिर्वा जिला उदयपुर।
7. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
8. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
9. गार्ड पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721- 24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad@gmail.com., Website www.tad.rajasthan.gov.in